

विचार बिन्दु

अतिथि जिसका अन्न खाला है, उसके पाप धुल जाते हैं। -अथर्ववेद

क्या राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम, 2022 नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने व पब्लिक हेल्थ और पब्लिक हेल्थ केयर के कर्तव्य को निभाने में सार्थक होगा?

रा

जस्थान राज्य स्वास्थ्य का अधिकार के हेतु राजस्थान स्वास्थ्य का अधिनियम 2022 लाने का संकल्प लिया है और अपेक्षा की है कि यह कानून राज्य सरकार का क्रान्तिकारी कदम होगा। यह कानून इस धारणा के आधार पर बनाया गया है कि इस कानून से राज्य की जनता को स्वास्थ्य का अधिकार प्राप्त होगा। अधिकारीय प्राप्ति यह बताते हैं कि स्वास्थ्य का अधिकार व्यक्तित्व पर जाएंगे तो पता चलेगा कि कैसे किसी व्यक्ति की उदात्त दृष्टि और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता के साथ दिल जीवन की कला से देश में युग परिवर्तन हो सकता है।

यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह बिल कानून बनने पर नागरिकों के स्वास्थ्य को रक्षा करेगा साथ ही संविधान में जो अधिकार लिये हैं जिनको सहायता से नागरिकों को हेल्थकेयर में सुविधा होगी। नागरिकों को सुपर सलाह प्राप्त हो सकती, सुपर दवाएं प्राप्त होंगी, जांच भी वे फ्री करा सकेंगे। इन्हें प्राइवेट अस्पतालों में फ्री इलाज करने की सुविधा होगी जिन्होंने जमीन के अंतर्मेट में कस्टोर लाइन से जीवन का विज्ञान करना चाहता है।

राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार भारत में अपनी तरह का पहला विदेशी क्रौर है। इसे राज्य सरकार 2022 में विधान सभा में पेश कराया। इस बिल की घोषणा तो 2018 के इलेक्शन के समय किंग्स ने की थी। ये तो ऐसा कहा जाता है कि संविधान से अनुच्छेद 21 के विवरण से न्यायोंने नागरिकों को अन्तर्मेट स्वास्थ्य के रूप में मौलिक अधिकार माना है। राज्य का कर्म है कि चुंकि संविधान स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं मानता अतः स्थिति स्पष्ट करने हेतु यह अधिनियम 2022 लाया जा रहा है।

राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार व्यक्तित्व पर काम करने के सम्बन्ध में शामिल होगा, इन्हें अधिनियम 2022 में क्रौरः धारा 2(बी) व धारा 2(डी) में Basic Primary Health Services o Comprehensive Primary Health Care Services द्वारा प्राप्तिकर्ता किया गया है। वहाँ 'पब्लिक हेल्थ' में Health Emergencies की भी शामिल किया गया है। पब्लिक हेल्थ अधिकारों में सेनेटोरेशन, पीने का पानी का अधिकार है और और नये अधिकारों को कर्तव्यों में शामिल करने की सलाह भी दी गई है जैसे सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि। इसके अधिकारित विधि (Centre for Legal Policy) ने अपनी यह सलाह अधिकार की है कि अधिकारियों तथा Grievance Redressal Mechanism भी इन्हें शामिल करें। विधि ने यहाँ भी बचन दिया है कि इसके प्रावधान, तृतीय तथा अधिकारीय संविधान के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं मानता अतः स्थिति स्पष्ट करने हेतु यह अधिनियम 2022 लाया जा रहा है।

यह तो सर्वसम्मत विचार है कि स्वास्थ्य का अधिकार व्यक्तित्व का मूल अधिकार है। अतः स्वास्थ्य के मूल अधिकार पर चर्चा नहीं है अपितु इस संबंध में डल्भ्यू-एस.ओ. द्वारा सन 1946 में ही यह स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि यह "The highest attainable standard of health as a fundamental Right of every human being."* यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि यह मानव अधिकार है, अतः राज्य का कर्तव्य है कि जनता के इस मूल अधिकार को मान्यता दे। Safe and portable water, sanitation, food, housing, health related information and education तथा Gender Equality सभी मूल अधिकार हैं। कमेटी ऑन इकोनोमिक, सोशल व कल्चरल राइट्स तथा यूनिवर्सल प्रियोटिक रिट्यू में स्वास्थ्य के अधिकार को मूल अधिकार माना है और सभी देशों को सलाह दी है कि वे अपने देश के छेले, कानून अधिकार संवैधानिक लों में सूखे मूल अधिकार मूल अधिकार है। अनुच्छेद 21 में स्वास्थ्य का अधिकार मूल अधिकार है। संविधान के लक्ष्यों में स्वास्थ्य का अधिकार मूल अधिकार है। जिसका विवरण के अधिकार को एलग अलग चेप्टर में ब्रांडा जावे। विधि (सेन्टर फॉर लिंगल पोलिसी) जो राज्य की है एक इकाई कही गई है, यह मानवी है कि स्वास्थ्य अधिकारियों का विवरण में उल्लेख मार्ग है उसमें उचित संशोधन की आवश्यकता है। ताकि उसे कारगर बनाया जावे। विधि मानती है कि Ombudsman की नियुक्ति की जावे वे अपीली होंगी।

यह तो सर्वसम्मत विचार है कि स्वास्थ्य का अधिकार व्यक्तित्व का मूल अधिकार है। अतः स्वास्थ्य के मूल अधिकार पर चर्चा नहीं है अपितु इस संबंध में डल्भ्यू-एस.ओ. द्वारा सन 1946 में ही यह स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि यह "The highest attainable standard of health as a fundamental Right of every human being."* यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि यह मानव अधिकार है, अतः राज्य का कर्तव्य है कि जनता के इस मूल अधिकार को मान्यता दे। Safe and portable water, sanitation, food, housing, health related information and education तथा Gender Equality सभी मूल अधिकार हैं। कमेटी ऑन इकोनोमिक, सोशल व कल्चरल राइट्स तथा यूनिवर्सल प्रियोटिक रिट्यू में स्वास्थ्य के अधिकार को मूल अधिकार माना है और देश के छेले, कानून अधिकार संवैधानिक लों में सूखे मूल अधिकार मूल अधिकार है। अनुच्छेद 21 की जो व्याख्या मानवीय सुरक्षा को ठीक करने की है, उसमें स्वास्थ्य का अधिकार मूल अधिकार माना है।

योजनायें तो अनेक हैं; किन्तु उनका लाभ कैसे मिले, इसकी कोई उपयोगी प्राणाली नहीं है। मरीज जो प्राइवेट अस्पताल में

इलाज करा रहा है उस अस्पताल को इलाज की फीस कैसे और किनते समय में मिलेगी इसकी व्यवस्था हो। कानून में प्रावधान हो कि प्राइवेट अस्पताल इलाज करने से दुर्भावनावश मना करे तो उस कर्तव्य की आवश्यकता है। ताकि उसे कारगर बनाया जावे।

कृत्य की आर्थिक सज्जा दी जावे। यह स्वीकार करने में कोई अपार्टि नहीं है कि स्वास्थ्य का अधिकार मूल अधिकार है। और जब यह मूल अधिकार है तो फिर न्यायालयों में भी व्यवर्तकारी हो।

स्वास्थ्य का अधिकार अनन्त कथा के समान है सर्वोत्तम अधिकार है और राज्य का कर्तव्य है नागरिकों के इस मूल अधिकार को सुक्ष्मों की व्यवस्था करो। जो राज्य संवैधानिक कर्तव्यों की पालन करता है उसको विवरण नहीं है। Out Patient Services वे हैं जो समय समय पर परिभाषित होंगी। यानी यह सेवा संघर्ष नहीं है। Out Patient Services वे हैं जो समय समय पर परिभाषित होंगी। यानी पहली बार परिभाषित सेवा के बाद यदि शीर्ष ही सेवा परिभाषित नहीं की गई तो यह सेवा ही नहीं रहेगी। धारा 2(ए) में Out Patient Services शब्द को परिभाषित किया है जबकि स्वास्थ्य का अधिकार तो मूल अधिकार है, उसे बांधने नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 19(2) के अनुसार Affordable को अनुच्छेद 19(2) की अवधारणा में नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 19(2) के अनुसार अनुच्छेद 19(2) की अवधारणा को अनुच्छेद 19(2) की अवधारणा में नहीं जा सकता है।

उपरोक्त कथन के अनुसार लेखक का अपार्टि है कि हमें अलग से स्वास्थ्य का कर्तव्य है नागरिकों के इस मूल अधिकार को सुक्ष्मों की व्यवस्था करो। जो राज्य संवैधानिक कर्तव्यों की पालन करता है उसको विवरण नहीं है। Out Patient Services वे हैं जो समय समय पर परिभाषित होंगी। यानी यह सेवा संघर्ष नहीं है। Out Patient Services वे हैं जो समय समय पर परिभाषित होंगी। यानी पहली बार परिभाषित सेवा के बाद यदि शीर्ष ही सेवा परिभाषित नहीं की गई तो यह सेवा ही नहीं रहेगी। धारा 2(ए) में सर्वोत्तम अधिकार को अनुच्छेद 19(2) की अवधारणा को अनुच्छेद 19(2) की अवधारणा में नहीं जा सकता है।

उपरोक्त कथन के अनुसार लेखक का अपार्टि है कि हमें अलग से स्वास्थ्य का कर्तव्य है नागरिकों के इस मूल अधिकार को सुक्ष्मों की व्यवस्था करो। जो राज्य संवैधानिक कर्तव्यों की पालन करता है उसको विवरण नहीं है। Out Patient Services वे हैं जो समय समय पर परिभाषित होंगी। यानी यह सेवा संघर्ष नहीं है। Out Patient Services वे हैं जो समय समय पर परिभाषित होंगी। यानी पहली बार परिभाषित सेवा के बाद यदि शीर्ष ही सेवा परिभाषित किया है जबकि स्वास्थ्य का अधिकार तो मूल अधिकार है, उसे बांधने नहीं जा सकता है।

उपरोक्त कथन के अनुसार लेखक का अपार्टि है कि हमें अलग से स्वास्थ्य का कर्तव्य है नागरिकों के इस मूल अधिकार को सुक्ष्मों की व्यवस्था करो। जो राज्य संवैधानिक कर्तव्यों की पालन करता है उसको विवरण नहीं है। Out Patient Services वे हैं जो समय समय पर परिभाषित होंगी। यानी यह सेवा संघर्ष नहीं है। Out Patient Services वे हैं जो समय समय पर परिभाषित होंगी। यानी पहली बार परिभाषित सेवा के बाद यदि शीर्ष ही सेवा परिभाषित किया है जबकि स्वास्थ्य का अधिकार तो मूल अधिकार है, उसे बांधने नहीं जा सकता है।

उपरोक्त कथन के अनुसार लेखक का अपार्टि है कि हमें अलग से स्वास्थ्य का कर्तव्य है नागरिकों के इस मूल अधिकार को सुक्ष्मों की व्यवस्था करो। जो राज्य संवैधानिक कर्तव्यों की पालन करता है उसको विवरण नहीं है। Out Patient Services वे हैं जो समय समय पर परिभाषित होंगी। यानी यह सेवा संघर्ष नहीं है। Out Patient Services वे हैं जो समय समय पर परिभाषित होंगी। यानी पहली बार परिभाषित सेवा के बाद यदि शीर्ष ही सेवा परिभाषित किया है जबकि स्वास्थ्य का अधिकार तो मूल अधिकार है, उसे बांधने नहीं जा सकता है।

उपरोक्त कथन के अनुसार लेखक का अपार्टि है कि हमें अलग से स्वास्थ्य का कर्तव्य है नागरिकों के इस मूल अधिकार को सुक्ष्मों की व्यवस्था करो। जो राज्य संवैधानिक कर्तव्यों की पालन करता है उसको विवरण नहीं है। Out Patient Services वे हैं जो समय समय पर परिभाषित होंगी। यानी यह सेवा संघर्ष नहीं है। Out Patient Services वे हैं जो समय समय पर परिभाषित होंगी। यानी पहली बार परिभाषित सेवा के बाद यदि शीर्ष ही सेवा परिभाषित किया है जबकि स्वास्थ्य का अधिकार तो मूल अधिकार है, उसे बांधने नहीं जा सकता है।

उपरोक्त कथन के अनुसार लेखक का अपार्टि है कि हमें अलग से स्वास्थ्य का कर्तव्य है नागरिकों के इस मूल